

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग, बिहार

पटना, दिनांक...../2015

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1-35/2013 ..... आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा (3) में निहित शक्तियों के आलोक में डॉ० सैयद मो० करीम, प्राचार्य, भौतिकी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, सम्प्रति, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में प्रतिकुलपति, के पद पर अगले तीन वर्षों की अवधि तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. डॉ० करीम द्वारा प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पद पर योगदान की तिथि से यह प्रभावी माना जायेगा।

3. डॉ० करीम की वेतन और परिलब्धियाँ वही होगी जो विभागीय संकल्प संख्या 2374 दिनांक 29.07.2010 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिकुलपति के लिए निर्धारित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-35/2013

पटना, दिनांक /2015

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी० सहित) प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-35/2013

पटना, दिनांक /2015

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-35/2013-1043

पटना, दिनांक 04/6/2015

प्रतिलिपि :- डॉ० सैयद मो० करीम, प्राचार्य, भौतिकी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, सम्प्रति, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, आवासीय पता—राजेन्द्र नगर, रोड़ न०-8, पटना-800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव